न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– अनिता धेतरवाल, आर.ए.एस.

वाद संख्या :– 26/2023

मोहनलाल पुत्र झाबरमल जाति रेगर निवासी ग्राम खाखोली तहसील व जिला सीकर

वादी

बनाम

1. तीजूदेवी पत्नि रामचन्द्र जाति नायक निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू
2. करणाराम पुत्र रामचन्द्र जाति नायक निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू
3. राजाराम पुत्र रामचन्द्र जाति नायक निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू
4. कमा पुत्री रामचन्द्र जाति नायक निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू
5. भंवरी पुत्री रामचन्द्र जाति नायक निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू
6. लिछमा पुत्री रामचन्द्र जाति नायक निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू
7. मोहनी पत्नि मदनलाल जाति नायक निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू
8. भींवाराम पुत्र मदनलाल जाति नायक निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू
9. झुमा पुत्री मदनलाल जाति नायक निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू
10. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

दावा विभाजन, चिर निशेधाज्ञा की डिकी प्राप्ति बाबत।

उपस्थित :–

1. मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते वादी

–: निर्णय :–

दिनांकः– 20/10/23

वादपत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 9 नौ के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का खेत खसरा संख्या 360 तीन सौ साठ तादादी 2.1878 दौ दशमलव एक आठ सात आठ हेक्टेयर वाके रोही ग्राम साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है जिसमें वादी 3/5 तीन बट्टा पांच हिस्सा भूमि का खातेदार कृषक है। जो मौका पर खेत की पूर्वी साईड में हिस्सा पांति में आई हुई है। वादगत भूमि का मौके पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 9 नौ की हिस्सा भूमि का मौखिक विभाजन किया हुआ है। मौखिक विभाजन के मुताबिक वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

एक ता 9 नौ अपने–अपने हिस्से की भूमि को काश्त करते आ रहे है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 9 नौ का खान–पान, रहन–सहन अलग–अलग है। वादगत खेत की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से अंकित होने के कारण वादी को सरकारी लाभांश प्राप्त करने में भारी परेशानी उठानी पड रही है। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने हिस्से की खातेदारी भूमि राजस्व रेकार्ड में पृथक अंकित करवाकर लगान का विभाजन कराये। जिसके लिए वादी को कानूनी अधिकार प्राप्त है। वादी ने दिनांक 5.3.2023 को प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 9 नौ से मौखिक रूप से निवेदन किया कि वादगत खेत का विधिवत विभाजन करवाकर अपने–अपने हिस्से की खातेदारी भूमि पृथक–पृथक राजस्व रेकार्ड में अंकित कराये। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 9 नौ साफ इनकार हो गये तथा प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 9 नौ ने वादी को ऐलानीयां तोर पर धमकियां दी कि वोह अच्छी किश्म की भूमि पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करके वादी को बेदखल करेंगे तथा किसी भूमाफियों को विक्रय करके अच्छी किश्म की भूमि का कब्जा करवाकर ही रहेगे, जबकि ऐसा करने का प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 9 नौ को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 9 नौ अपने गैरकानूनी कृत्य में सफल हो गये तो वादी को न केवल अपूर्तिय क्षति होगी बल्कि भयंकर असुविधा भी होगी। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निशेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 9 नौ को वर्जित कराये कि वोह वादी को अपनी हिस्सा भूमि से जबरन बलपूर्वक कब्जा करके बेदखल नहीं करें और जब तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हो जाता तब तक किसी हिस्से या अंश को विक्रय हस्तांतरण रहन आदि नहीं करें ओर ना ही वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधायें रूकावटें आदि पैदा करें या किसी अन्य से करवायें। वादगत खेत वादी के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का होने से वादी को वादाधार प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 9 नौ की ऐलानियां धमकियां से वादी को वाद हेतुक प्राप्त है। राज्य सरकार भू धारक है जो वाद में आवश्यक पक्षकार है। कानूनी आपतियों को मध्य नजर रखते हुए राजस्थान सरकार को वाद में प्रतिवादी संख्या 10 दस के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है। वाद वादी संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन एंव चिर निशेधाज्ञा डिक्री प्राप्ति का है। वादगत खेत रोही ग्राम साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है इसलिए इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

क्षेत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। वाद वादी निर्धारित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। आदि–आदि अंकित कर वाद पत्र पेश किया।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 बावजुद तामिल अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वाद में पेरोकार राज ने राजहित नहीं होना अंकित किया है। वादी वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वादी वकील ने दौराने बहस दावे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद को डिक्री करने का निवेदन किया।

वादी वकील की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जो अभिवचन वादी द्धारा वाद में किए गए है उसका विरोध इस न्यायालय में किसी भी व्यक्ति द्धारा नहीं किया गया है। इस कारण इस वाद में तनकीयात कायम नहीं की गई। वादी कब्जा काश्त के आधार पर वादगत भूमि में सें पूर्वी साईड की 3/5 हिस्सा भूमि का विभाजन करवाना चाहता है जो न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

अतः वादी का वाद विभाजन का स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री इस प्रकार जारी की जाती है कि वादगत भूमि रोही ग्राम साण्डवा का खेत खसरा संख्या 360 तादादी 2.1878 हेक्टेयर भूमि वादी की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें वादी का 3/5 हिस्सा है। इस हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी हो। तहसीलदार बीदासर को आदेश दिया जाता है कि वादी व प्रतिवादी दोनों पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में खाता विभाजन का प्रस्ताव तैयार कर भिजवावें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर